न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 684–तीन/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–01–2007 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 448/2004–05/अपील

.....

1–मनजीतसिंह पुत्र इकबालसिंह
2–बलवीरसिंह पुत्र इकबालसिंह
3–मिलिन्दरसिंह पुत्र इकबालसिंह
निवासीगण गुरूनानक कॉलोनी गुना
तहसील व जिला गुना
4–गोकुलचन्द पुत्र निहालसिंह
निवासी मटकरी कॉलोनी गुना
तहसील व जिला गुना

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–धुन्दीलाल पुत्र नैनराम ब्राहम्ण
2–शकुन्तलादेवी पत्नी मुन्नासिंह राजपूत
निवासी ग्राम कर्माखेडी रूठियाई तहसील राघौगढ़
जिला गुना
3–रामबाबू पुत्र परमसुख चिकवा
निवासी गुना तहसील एवं जिला गुना

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6/1/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–1–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 धुन्दीलाल द्वारा तहसीलदार राघौगढ के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व व स्वामित्व की भूमि ग्राम कर्माखेड़ी रूठियाई, तहसील राघौगढ़ सर्वे कमांक 99/1 रकबा 0.836 हेक्टेयर का सीमांकन कराया जाकर लालस्याही से पुख्ता कराया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ-3/2003-04 दर्ज कर दिनांक 12-7-2004 को आदेश पारित किया जाकर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11-7-05 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई है और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12-1-2007 को द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मात्र व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित होने से राजस्व न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बाधित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है। यह भी कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बावजूद भी उस पर तहसीलदार द्वारा सार्थक आदेश पारित नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि मौके पर प्रश्नाधीन भूमि का रकबा कम नहीं है अतः इस आधार पर भी तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करनें में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय में सभी भूमिस्वामी पक्षकार नहीं है और जब तक व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है तब तक राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में जो अधीनस्थ न्यायालयों

द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि नक्शे में ही रकबा कम है तब मौके पर बटांकन नहीं किया जा सकता है और इसी आधार पर राजस्व निरीक्षक का प्रस्ताव निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य व्यवहार वाद भी लंबित है इस कारण भी तहसील न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसी आशय का निष्कर्ष निकालते हुये अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिपस्थितियों अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–1–2007 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर